एक्सप्रेसवे-हाईवे के लिए नया नियम 24 जनवरी से लागू होगा, हाई स्पीड वाहन चालक दूर से देख सकेंगे संकेतक

राजमार्गों पर नए यातायात संकेत लगेंगे

बदलाव

■ अरविंद सिंह

नई दिल्ली। नए साल में देश के एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र 24 जनवरी से नया यातायात संकेत नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत अब राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर बड़े आकार के बोर्ड पर बड़े संकेतक होंगे। इसी तरह अक्षर-सचित्र बोर्ड भी देखने को मिलेंगे।

बड़े बोर्ड और संकेत हाई स्पीड वाहन चालक आसानी से देख सकेंगे और समय रहते सही निर्णय लेंगे। नए नियम के तहत बोर्ड पर लिखे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर चालकों पर जुर्माना लगेगा। मालूम हो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उक्त विषय पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बाबत नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे के सफर को सुरक्षित और सुचारू बनाने में नए यातायात संकेतों की अहम भूमिका होगी। नए दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किए गए तमाम नियमों का स्थान लेंगे और भविष्य की सड़क परियोजनाओं पर लागू होंगे। संकेत से जुड़े नए बोर्डों को सावधान-चेतावनी, अनिवार्य-नियामक और सूचनाप्रद-मार्गदर्शक की श्रेणी में रखा गया है। गति सीमा, प्रवेश निषेध के संकेत यातायात नियंत्रण में सहायक साबित होंगे। पुल, फ्लाईओवर, रोड ओवर ब्रिज, सुरंग आदि के लिए 500 मीटर पहले बोर्ड लगेंगे। वाहन चालकों के लिए एडवांस संकेत बोर्ड 500 मीटर, एक और दो किमी पहले लगेंगे।

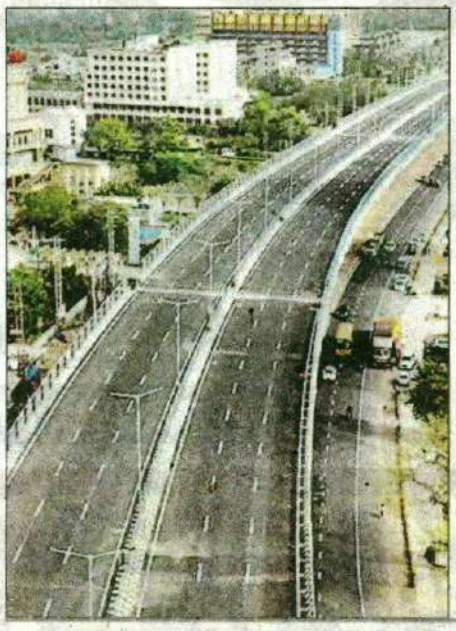

1033

इमजरेंसी हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड हर पांच किलोमीटर की दूरी पर लगाना जरूरी

500

मीटर पहले ही बोर्ड लगाए जाएंगे पुल, ओवरब्रिज, सुरंग आदि के लिए

04

रंगों सफेद, लाल, पीला और हरे का इस्तेमाल किया जाएगा राजमार्गों पर रोड मार्किंग के लिए

सुरंग से आधा किलोमीटर दूर बोर्ड लगेगा

प्रत्येक पांच किलोमीटर पर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1033 का बड़ा बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्गों और सुरंग आदि से 500 मीटर पहले इमरजेंसी कॉल बॉक्स का बोर्ड लगाया जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर यात्री मदद मांग सकेंगे।

पट्टियों के रंग के आधार पर लेन बदल सकेंगे

नए नियम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोड मार्किंग में बदलाव किया गया है। इसमें सफेद, लाल, पीला और हरे रंग का प्रयोग किया जाएगा। इसका मकसद कार चालक एक्सप्रेस-वे व राजमार्गों पर लेन बदलने से पहले उक्त रंग की पट्टियों को देखकर निर्णय लेगा। बाहर निकलने, बस-ट्रक वे, यात्री सुविधा केंद्र आदि जाने के लिए उक्त रंगों के हिसाब से चालक अपने वाहन की लेन बदलेगा। पहली बार एक्सप्रेस-वे व राष्ट्रीय राजमार्गों में लेन स्पीड (60, 80, 100 किलोमीटर प्रतिघंटा) का जिक्र होगा। जिससे वाहनों को तय स्पीड में वाहन चलाना होगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं में खासी कमी आने की उम्मीद है।